

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री बाबू लाल शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि पीलीबंगा, हनुमानगढ जिनकी जन्म तिथि:- 01.03.1964 न दिनांक 08.10.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 06.01.2022 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्री बाबू लाल शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि पीलीबंगा, हनुमानगढ को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 06.01.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री बाबू लाल शर्मा के विरुद्ध आज तक --

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



DL
(काना राम)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/निवृत्ति/2020/284

दिनांक- 09/11/2021

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रपिठ -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राउमावि पीलीबंगा, हनुमानगढ
7. अनुभाग अधिकारी, एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1887/91-92, डीपीसी 15-16 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में ।
8. श्री बाबू लाल शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि पीलीबंगा, हनुमानगढ
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वैच्छक सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रमिला कुमारी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि उदयरामसर- बीकानेर जिनकी जन्म तिथि:- 05.07.1964 ने दिनांक 07.09.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 30.11.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्रीमती प्रमिला कुमारी, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि उदयरामसर- बीकानेर का राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 30.11.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती प्रमिला कुमारी के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वैच्छक सेवा निवृत्ति/2020/2835
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक-09/11/2021

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राउमावि उदयरामसर- बीकानेर
7. अनुभाग अधिकारी, एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 623ए/88-90, डीपीसी 18-19 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में।
8. श्रीमती प्रमिला कुमारी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि उदयरामसर- बीकानेर
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018


दिनांक-

कार्यालय आदेश

श्री किशन गोपाल वर्मा प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि राउमावि जेतपुर, बूंदी जिनकी जन्मतिथि - 05.07.1963 है, का निधन दिनांक- 07.09.2021 को हो चुका है। अतः श्री किशन गोपाल वर्मा प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक- 07.09.2021 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री किशन गोपाल वर्मा, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(काना राम)

आई.एस.ए.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2021/55

दिनांक- 09/11/2021

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, हितकारी निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...
7. प्रधानाचार्य, राउमावि राउमावि जेतपुर, बूंदी
8. अनुभाग अधिकारी, एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1895/06-07, डीपीसी 13-14 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
9. आश्रित स्व. श्री किशन गोपाल वर्मा प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि राउमावि जेतपुर, बूंदी
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018


दिनांक-

कार्यालय आदेश

श्री सन्तुराम प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि राउमावि गोगासर, रतनगढ़- चूरु जिनकी जन्मतिथि - 10.09.1967 है, का निधन दिनांक- 13.09.2021 को हो चुका है। अतः श्री सन्तुराम प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक- 13.09.2021 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री सन्तुराम, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(काना राम)


आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 09/11/2021

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2021/54
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रप्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, हितकारी निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...
7. प्रधानाचार्य, राउमावि राउमावि गोगासर, रतनगढ़- चूरु
- 8 अनुभाग अधिकारी,एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1394/05-06, डीपीसी 15-16 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
- 9 आश्रित स्व. श्री सन्तुराम प्राध्यापक (हिन्दी), राउमावि राउमावि गोगासर, रतनगढ़- चूरु
- 10 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर